fogxkoykdu

1. jkT; d lkoZtfud {k= d miØek dk fogxkoykdu

सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2013, को उत्तर प्रदेश राज्य में 87 कार्यरत पीएसयू (80 कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) और 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने ₹ 62,432.56 करोड़ का टर्नओवर किया एवं कुल ₹ 10,842.45 करोड़ की हानि वहन की।

¼çLrj 1-1] 1-5 ,o 1-6½

ih,l;w e fuos'k

31 मार्च 2013 को 126 पीएसयू में ₹ 1,14,776.13 करोड़ (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का निवेश था। यह 2007–08 के ₹ 29,365.93 करोड़ से 290.85 प्रतिशत बढ़कर 2012–13 में ₹ 1,14,776.13 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वृद्धि के कारण था जो कि 2012–13 में कुल निवेश का 94.43 प्रतिशत लेखांकित किया गया। 2012–13 के दौरान सरकार ने अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 7,117.53 करोड़ का योगदान दिया।

¼çLrj 1-7] 1-8] 1-9 ,o 1-10½

ih,l;w dk dk;Z lEiknu

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 87 कार्यरत पीएसयू में से, 34 पीएसयू ने ₹ 1,255.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 22 पीएसयू ने ₹ 12,097.87 करोड़ की हानि वहन की। छः कार्यरत पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 पीएसयू में 'न लाभ न हानि' मानी गयी क्योंकि इनके वित्तीय परिणाम ₹ एक लाख से कम थे। लाभ में योगदान करने वालों में मुख्यतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 431.05 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 232.49 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 126.08 करोड़) थे। ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों द्वारा भारी हानि (कुल ₹ 11,562.21 करोड़) वहन की गई।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के तीन वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राजकीय पीएसयू की ₹ 35,838.70 करोड़ की हानियाँ एवं ₹ 315.46 करोड़ का निष्फल निवेश बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। अतः कार्यप्रणाली को सुधारने तथा हानियों को कम करने/समाप्त करने की वृहद सम्भावना है।

¼çLrj 1-14 ,o 1-15½

y[kkvk d yfEcr vfUrehdj.k vkj dk;Zjr ih,l;w dk ifjlekiu

87 कार्यरत पीएसयू में से, केवल पाँच पीएसयू ने वर्ष 2012–13 के अपने लेखे अन्तिमीकृत किये जबकि सितम्बर 2013 में 82 पीएसयू के 228 लेखे एक से 17 वर्ष की अवधि से बकाया थे। पीएसयू हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए बकाये को समयबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) में से, 13 परिसमापन में थीं, और शेष 26 में लेखे एक से 30 वर्ष के बकाये में थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की कार्यवाही तेज करनी चाहिये।

¼çLrj 1-18] 1-19] 1-20 ,o 1-24½

y[kkvk dh x.koRrk

पीएसयू के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक 61 कार्यरत कम्पनियों के अन्तिमीकृत किये गये 78 लेखाओं में से 75 लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाणपत्र, दो लेखाओं पर एडवर्स प्रमाणपत्र और एक लेखे पर डिस्क्लेमर प्रमाणपत्र सांविधिक अंकेक्षको द्वारा निर्गत किये गये। लेखांकन मानकों के अनुपालन न करने के 105 दृष्टांत थे। अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान छः सांविधिक निगमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गये छः लेखाओं में से पाँच लेखाओं की लेखा परीक्षा हमने सम्पादित की और तीन लेखाओं पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र और दो लेखों पर एडवर्स प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। शेष एक निगम की लेखा परीक्षा अन्तिमीकरण के अधीन थी (सितम्बर 2013)।

¼çLrj 1-27] 1-28 ,o 1-30½

2. ljdkjh dEiuh ls lEcfU/kr fu'iknu leh{kk

;0ih0 iktDVl dkjiksj'ku fyfeVM d dk;dykik dh leh{kk lEikfnr dh xbA gekj y[kk ijh{kk i{k.kk dh dk;dkjh lkjk'k fuEuor g

çLrkouk

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य सामान्य व सरकारी संविदाकार के रूप में कार्य करना, कार्यों हेतु निविदाएँ प्रस्तुत करना तथा हर प्रकृति का निर्माण कार्य करना था। कम्पनी ने मार्च 2013 तक के गत छः वर्षों में निविदाओं में भाग नहीं लिया तथा मुख्यतः विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त लागत पर सेन्टेज के आधार पर निक्षेप कार्यों के सम्पादन में कार्यरत थी।

¼çLrj 2-1 ,o 2-6½

dk;Z dk lEiknu

गत छः वर्षों (2007–08 से 2012–13) की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कुल उपलब्ध ₹ 5,143.40 करोड़ के कार्यों में से ₹ 3,581.21 करोड़ (69.63 प्रतिशत) के कार्यों को सम्पादित किया। 92 प्रतिशत पूर्ण कार्यों का सम्पादन उप–ठेकेदार को सम्मिश्रित दरों पर कार्यादेश निर्गत कर के किया गया जबकि आठ प्रतिशत कार्य विभागीय पद्धति पर सम्पादित किये गये। वर्ष 2011–12 तक की पाँच वर्षों की अवधि में, कम्पनी ने अधिकांश प्रकरणों में, वास्तुविदों की नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग से नहीं की थी। कम्पनी ने उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पर सेवाकर एवं वास्तुविद् शुल्क अनुमन्य कर तथा दोहरावपूर्ण प्रकृति के कार्यों पर भी 0.25 प्रतिशत से अधिक शुल्क अनुमन्य कर वास्तुविदों को ₹ 93.20 लाख का अधिक भुगतान किया।

¼çLrj 2-7 ls 2-12 ,o 2-16½

हमारे द्वारा नमूना जाँचे गये 18 कार्यों में, सम्बन्धित समयावधि में सम्बन्धित जिले में लागू उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल ऑफ रेट्स की दरों से अधिक दरें अन्तिमीकृत करने के कारण, कम्पनी ने उप–ठेकेदारों को ₹ 6.13 करोड़ का अधिक भुगतान किया। इसके अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने के कारण उप–ठेकेदारों को ₹ 1.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। इन 18 कार्यों में कम्पनी ने भी ग्राहकों से ₹ 0.99 करोड़ अधिक सेन्टेज वसूला।

¼çLrj 2-17 ,o 2-18½

इण्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि इन कार्यों को सम्पादित कर रहे 17 उप–ठेकेदारों को ₹ 22.60 करोड़ के अनेक ब्याज मुक्त अग्रिम बिना कार्यों की माप किये तथा बिना पूर्व

अग्रिमों का समायोजन किये, अवमुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त अग्रिमों के सापेक्ष कोई बैंक गारण्टी भी नहीं ली गयी थी।

¼çLrj 2-19½

vd| ky Je"kfDRk fu;ktu

अधीक्षण, अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं की वास्तव में उपलब्ध श्रमशक्ति स्वीकृत पदों की तुलना में कहीं अधिक थी। इकाइयों/अंचलों की संख्या के वृद्धि तथा अधिकांश कार्यों का उप–ठेके पर सम्पादन किये जाने को ध्यान में रखते हुए श्रमशक्ति आवश्यकता का कोई आंकलन नहीं किया गया था।

(çLrj 2-25½

foÙkh; icU/ku

कम्पनी ने निवेश योग्य अधिशेष धन का आंकलन करने हेतु तथा अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रणाली का सृजन नहीं किया है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्लैक्सी सुविधा न लेने के कारण कम्पनी ने 2009–10 से 2011–12 की अवधि के दौरान ₹ 67.17 लाख के ब्याज की हानि वहन की। अर्जित ब्याज के विवरण विभागवार/कार्यवार नहीं रखे गये थे।

¼çLrj 2-29] 2-30 ,o 2-31½

2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान पूर्ण हुये 180 कार्यों के प्रकरण में, कम्पनी ने कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय हेतु ₹ 112.12 करोड़ प्राप्त किये जबकि इन कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 114.93 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जिसके लिए ग्राहक विभागों से दावा भी नहीं किया गया तथा उसे अपने सेन्टेज से वहन किया गया, जिससे स्वयं की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

¼çLrj 2-32½

कम्पनी ने मूल अभिलेखों जैसे कार्य रजिस्टर, कार्य समाप्ति उपरांत सामग्री उपभोग विवरण पत्र एवं माप पुस्तिकाओं की अनुक्रमाणिका का रखरखाव नहीं किया। आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ अप्रभावी व अपर्याप्त पायीं गयी।

¼çLrj 2-39 ,o 2-40½

3. l0;ogkjk dq y[kk ijh{kk i{k.k

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहारों के लेखा परीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे। इंगित की गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

₹ 17,095.15[1] करोड़ की परिहार्य हानि/व्यय के 15 प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.1, 3.3 से 3.8 एवं 3.11 से 3.18)

₹ 52.37 करोड़ के अनुचित लाभ के दो प्रकरण थे।

(प्रस्तर 3.9 एवं 3.10)

₹ 29.52 करोड़ के सांविधिक कर्तव्यों के उल्लंघन का एक प्रकरण था।

(प्रस्तर 3.19)

---

[1] ₹ 9,704.12 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 22 वर्षों, 23 वर्षों 9 माह, 24 वर्षों एवं 25 वर्षों में वहन किया जायेगा जैसा की इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.13 में उल्लिखित है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तरों के साराँश नीचे दिये गये हैं:

- mÙkj çn k jktdh; fuek.k fuxe fyfeVM ने भूमि की उपलब्धता/अपेक्षित अनुमोदन सुनिश्चित किये बिना ₹ 138.01 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करके उप–ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 3.2)

- iokpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM ने सीएनसीई विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार हिण्डाल्को को व्यस्त अवधि (पीक समय) के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के लिये बीजक निर्गमन में देरी के कारण ₹ 11.30 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.6)

- iokpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM ने माँग प्रभारों की त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण ₹ 9.05 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.7)

- mÙkj çn k jkT; fo|r mRiknu fuxe fyfeVM द्वारा उच्च दरों पर हाई–क्रोम लाइनर्स के क्रय के कारण ₹ 2.05 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.8)

- स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध की जाँच से प्रकट हुआ की mÙkj in k ikoj dkjikj ku fyfeVM (कम्पनी) आईपीपी द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल की गयी याचिकाओं के विरूद्ध लागत–लाभ विश्लेषण, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मानदण्ड आधारित तर्कसंगत टिप्पणी प्रस्तुत करने के अपने कर्तव्य में विफल रही। अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के समक्ष अपील दाखिल करने में कम्पनी विफल रही। आईपीपी द्वारा प्रस्तुत किये गये विद्युत क्रय देयकों एवं आईपीपी की याचिकाओं में दिये गये आँकड़ों के सत्यापन के लिए कम्पनी ने किसी तन्त्र का विकास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण करने में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार भी विफल रहा।

(प्रस्तर 3.13)

- mÙkj çn k ty fuxe ने हैण्डपम्पों के पुनः बोरिंग में जीआई पाइपों की अल्प पुनर्प्राप्ति के कारण ₹ 18.99 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.14)

- mÙkj çn k vkokl ,o fodkl ifj'kn को आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण बिल्डर को भूखण्ड विक्रय से ₹ 4.43 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा था।

(प्रस्तर 3.17)